संख्या-41/2019/570 ई-2/तेरह-2019-10/2017

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 09 मार्च, 2019

विषयः- दि मिलेनियर सूट्स 7/110 सी स्वरूप नगर निकट आर्य नगर चैराहा, कानपुर नगर को एफ0एल0-6 (समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पृ ष्ठांकित अपने पत्र सं0-3593/जिला बार समिति/कानपुर नगर/2019-20, दिनांक 16 फरवरी, 2109 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण मेंआपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2109 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 07-02-2019 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-229/दस-लाइसेंस-26/एफ0एल0-6,7/ दि मिलेनियर सूट्स/बार अनु0/कानपुर नगर, दिनांक 05 मार्च, 2019 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त दि मिलेनियर सूट्स 7/110 सी स्वरूप नगर निकट आर्य नगर चैराहा, स्वामी श्री प्रियम गोयल, कानपुर नगर को एफ0एल0-6 समिश्र बार अनुज्ञापन देने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत होटल/रेस्टोरेन्ट्स में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

संख्या-41/2019/570 ई-2/तेरह-2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-जी-229/दस-लाइसेंस-26/एफ0एल0-6,7/ दि मिलेनियर सूट्स/बार अनु0/कानपुर नगर, दिनांक 05 मार्च, 2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in